गृह मंत्रालय

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापु ने प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं आप्रवासन प्रणाली की समीक्षा की

यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट के प्रत्येक टचपॉइंट पर समन्वित योजना तैयार की गई

सभी हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से Automatic tray retrieval system लागू की जाएगी

वर्ष 2027 तक सभी राज्य मुख्यालयों में एफआरआरओ कार्यालय स्थापित किए जाएंगे

अगरतला एवं जेवर हवाई अड्डों पर अधिकृत आप्रवासन जांच चौकियां शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए

FTI-TPP को लोकप्रिय बनाने के लिए एयरलाइंस के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा

प्रविष्टि तिथि: 08 JUL 2026 4:27PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापु ने प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं आप्रवासन प्रणाली की समीक्षा की। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मानव संसाधन लागत को कम करने के उद्देश्य से देश के सभी एयरपोर्टों पर चरणबद्ध तरीके से Automatic tray retrieval system स्थापित करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नये हवाईअड्डों में Automatic tray retrieval system ही स्थापित करने के उचित मापदंड तय किये जाएं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने एयरपोर्ट में प्रवेश के लिए एंट्री लेन, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच लेन और आप्रवासन काउंटर के मध्य आपसी पारस्परिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए एक समीकरण तैयार किया जाने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी टचपॉइंट पर पैसेंजर प्रवाह (Passenger Flow) में किसी प्रकार का अवरोध

उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट के प्रत्येक टचपॉइंट पर समन्वित योजना तैयार की गई है।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के सुरक्षा मापदंड अनुसार यात्री-सुविधा बढ़ाने और वाणिज्यिक क्षेत्र को निर्धारित मानक में ही रखने के लिए 21प्रक्रियाधीन तथा शेष 41 एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए पैसेंजर्स ट्रैफिक के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इन 62 एयरपोर्ट पर अगले दो वर्ष में कार्य पूर्ण किया जाए।

श्री अमित शाह ने यह भी निर्देश दिया कि नागरिक विमानन मंत्रालय पैसेंजर ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक के आधार पर सभी एयरपोर्ट्स के लिए एरोब्रिज की संख्या संबंधी मानदंड निर्धारित करे। बैगेज ड्रॉप की सुविधा प्रमुख 16 हवाई अड्डों के अतिरिक्त अन्य उच्च पैसेंजर आवागमन वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए प्रायोजित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उपलब्ध अधिकारी और कर्मचारियों को एक्स-रे स्क्रीनिंग कार्य में नियोजित किया जाए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2027 तक सभी राज्य मुख्यालयों पर अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) कार्यालय प्रारंभ किए जाएं। अगरतला और जेवर एयरपोर्ट पर अधिकृत आप्रवासन चौकी शीघ्रता से प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) को लोकप्रिय बनाने के लिए एयरलाइंस के साथ समन्वय कर अंतरराष्ट्रीय टिकट बुकिंग होने पर संबंधित यात्री को फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) पर पंजीकरण करने का अनुरोध करते हुए व्हाट्सएप संदेश भेजने की व्यवस्था स्थापित की जाए।

श्री अमित शाह ने कहा कि नागरिक विमानन मंत्रालय और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा पृथक-पृथक स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से वर्ष के पीक सीजन में प्रमुख एयरपोर्ट्स के सभी टचपॉइंट्स पर यात्री विलंब में कमी का अध्ययन करवाया जाना चाहिए।

***

RK/RR/PR/PS

(रिलीज़ आईडी: 2282447) आगंतुक पटल : 314
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Assamese , Bengali , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam